

न्यायालय: त्वरित न्यायालय द्वितीय, दरभंगा।

**S.T. No. 248/2006**

**Reg No. 2277/2014**

**21-12-20** सभी 02 अभियुक्त की हाजरी है। अभियोजन की ओर से हाजरी है।

अभिलेख निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में डॉक्टर साक्षी का साक्ष्य हो चुका है, किन्तु वाद के जख्मी साक्षी बरनीया देवी पति जगदीश राम, साकिन मनमदेव, थाना जाले, जिला दरभंगा का साक्ष्य नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थिति में निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः निर्णय स्थगित किया जाता है।

कार्यालय उपरोक्त साक्षी के विरुद्ध समन निर्गत करें।

दिनांक 06.01.2021 वास्ते साक्ष्य।

त्वरित न्यायालय द्वितीय,  
दरभंगा।

दिनांक 21.12.2020